राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 10 (6) शिक्षा-4/2007 जयपुर, दिनांकः 04/07/2016

आदेश

विषयः—अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग के निवासियों को राज्य में स्थित समस्त कॉलेज शिक्षा संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में संचालित समस्त व्यावसायिक एवं अन्य प्रबन्धकीय पाठ्यक्रमों आदि में संरक्षण दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा पी.एम.टी. परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा—बी.एड./एम. एड./बीपी.एड./शिक्षाशास्त्री/एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण लागू है, उन सभी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के निवासियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान निम्न प्रकार होंगे:-

" राज्य में स्थित समस्त उच्च शिक्षा विभाग संबंधी प्रवेश परीक्षाओं एवं समस्त उच्च शिक्षा संबंधी संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा—एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.बी.ए. बी.बी.ए. एवं अन्य प्रबन्धकीय पाठ्यक्रम होटल मेनेजमेंट, बायो टेक्नोलोजी की स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री स्नातक डिप्लोमा तथा अन्य सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज में अनुसूचित जनजाति वर्ग लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत (अर्थात 5.5 प्रतिशत) आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19 (2) 80—एल—1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति निवासियों के लिए आरक्षित रखे जायगें"। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्यधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों से भरे जायेगें।

उक्त प्रावधान के तहत केवल अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही पात्र होंगे तथा "अनुसूचित क्षेत्र के निवासी" से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी आदेशों/निर्देशों एवं विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण—पत्र धारक से है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा उक्त व्यवस्था आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होगी।

आज्ञा से

(राजहंस उपाध्याय)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा

1057

D:/genral letter/Gehlot

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुंख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त टीएडी, उदयपुर।
8. जिला कलेक्टर, बांसवाडा / डूंगरपुर / प्रतापगढ / उदयपुर / सिरोही।
9. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
11. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
13. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
14. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
15. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
16. कुलसचिव, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
17. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
18. कुलसचिव, महाराजा सूरज मल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
19. कुलसिचव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
20. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
21. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

D:/genral letter/Gehlot